

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 02.6.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एफ श्रेणी की वरियतानुसार इस विभाग के आदेश दिनांक 12.5.2011 के द्वारा आवंटित एफ स्वतंत्र राजकीय आवास का कब्जा निर्धारित अवधि में नहीं लेने से आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	संवानिति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री राकेश कुमार जाटव नर्सिंग ट्यूटर सवाई मान सिंह नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल, जयपुर	एफ- 42 गौधीनगर (4/75 गौधीनगर के स्थान पर)	31.7.2034	193
2	श्री जुगनु कमुर जलुथरिया वरिष्ठ लिपिक कार्यालय प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-141 गौधीनगर (4/28 गौधीनगर के स्थान पर)	31.5.2034	194
3	श्री रामावतार सोनी वाहन चालक निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर	एफ-200 गौधीनगर (4/41 गौधीनगर के स्थान पर)	31.1.2015	195

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग / साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
- अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक(ख-1) विभाग।
- मुख्य लेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- क्रोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिशासी अधिकारी अधिकारी, साठ निर्वाचित विभाग / जन स्वास्थ्य विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंगौधीनगर, जयपुर।
- सहायक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
- सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रक्षित करने का श्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा किशाया वसतनीय होगा।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 6/6/2011

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.4.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:—

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	32/2010	श्री शिवकुमार सोनी अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	एन-9 गांधीनगर	30.6.2014
2.	4/2011	श्री रुपाराम चौधरी महाप्रबन्धक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर	701 सप्तम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	30.6.2016
3.	21/2011	श्री नरेन्द्र कुमार कोठारी खनि अभियन्ता, याचिकारं कार्यालय खनि अभियन्ता रिट्स खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर	702 सप्तम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	30.9.2022

आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव



510 (Web)

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, तकनीकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर।
8. खनि अभियन्ता, रिट्स खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विडिओनिगम लिंगांगीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
13. निदेशक, उघान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव